


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

142

PL 19/06
22/5/06



फूलचन्द्र तनय आशाराम कुशवाहा, उम्र 60 वर्ष, पेशा-मजदूरी, निवासी
ग्राम-सड़वा, तह०-नागौद, जिला-सतना (म०प्र०)

R 939/14/06

पुनरीक्षणकर्ता
आवेदक

बनाम

जागेश्वर तनय भइयालाल ब्रा०, उम्र लगभग 55 वर्ष, पेशा-कृषि, निवासी
ग्राम-सड़वा, तहसील-नागौद, जिला-सतना (म०प्र०)

गैरपुनरीक्षणकर्ता
अनावेदक

दिनांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 22/5/06 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय व आदेश
न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय
रीवा संभाग रीवा का प्रकरण
क०-216/अपील/01-02 में पारित
निर्णय दिनांक 27/03/2006

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50
म०प्र० भू. राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा तहसीलदार, तह०-नागौद, जिला-सतना (म०प्र०)
के समक्ष ग्राम-सड़वा की भूमि खसरा नं०- 172/3 कुल एक किता रकबा
0.010 हेक्टेयर में गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के अप्राधिकृत कब्जे को
हटाकर पुनरीक्षणकर्ता को कब्जा दिलाये जाने का आवेदन-पत्र म०प्र०
भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई० की धारा - 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया
गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तह०-नागौद द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के
आवेदन-पत्र पर यह निष्कर्ष पारित किया गया, कि पुनरीक्षणकर्ता का

13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 939-दो/06

जिला -सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.8.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 216/अपील/01-02 में पारित आदेश दिनांक 27.3.06 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील नागौद जिला सतना के समक्ष ग्राम सड़वा की भूमि ख० न० 172/3 कुल 1 कित्ता रकवा 0.010 है० में अनावेदक के अप्राधिकृत कब्जे को हटाकर आवेदक को कब्जा दिलाये जाने का आवेदन पत्र म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था तहसीलदार ने उक्त आवेदन इस बावत खारिज कर दिया कि यह धारा-250 का न मानते हुये आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर दिया। इससे परिवेदित</p>	

24.8.16



होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3.11.01 को निरस्त कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में जागेश्वर प्रसाद द्वारा अपील प्रस्तुत की। जो उनके द्वारा अपील स्वीकार की गई। इससे दुखी होकर यह निगरानी फूलचन्द द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया गया है कि विवादित आराजी का नंबर का सीमांकन विधिवत कराया गया था। जिस पर आवेदक को अतिक्रमण घोषित किया गया था। इस सीमांकन के आदेश को आवेदक ने किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी। अतः यह आदेश अंतिम था। उनका कहना है अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा करके बाउन्डरीबॉल कर लिया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।


4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि विचारण न्यायालय में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है अनावेदक को कय के पूर्व विवादित आराजी पर आवेदक का लेट्रिन बना हुआ है। अनावेदक ने अपने साक्ष्य में स्वयं स्वीकार किया

है कि रजिस्ट्री में 18x27 फुट खरीदा है और सीमांकन 27x24 का कराया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है जिसमें कुशधर द्विवेदी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जितनी जमीन कय की थी उतने में मकान निर्मित है तथा उतना ही भाग ददुआ को विक्रय कर कब्जा दिया था और ददुआ ने उतना ही भाग सुरेश सोनी को विक्रय कर दिया है तथा सुरेश सोनी ने उतना ही भाग आवेदक को विक्रय किया है जब आराजी उतनी ही थी तो आवेदक अधिक आराजी का भूमिस्वामी कैसे हो सकता है जिस बात पर विचार नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के पूर्व भूमिस्वामी अनावेदक के पिता आशाराम थे। आशाराम ने ददुआ काछी को विक्रय किया था तथा अन्य लोगों को भी विक्रय करते हुये आवेदक ने सुरेश सोनी से इस आराजी को कय किया था। अनावेदक का यह तर्क कि आवेदक ने स्वयं स्वीकार किया है कि 18x27 फुट की रजिस्ट्री कराई गई है यह तर्क सही है। आवेदक फूलचंद ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि 18x27 फुट ही खरीदा है और खरीदते समय सुरेश सोनी ने नाप नहीं कराई

तथा यह भी स्वीकार किया है कि मैने व जागेश्वर ने लेट्रिन बना ली है तथा कुशधर द्विवेदी ने अपने इकरारनामे में यह स्वीकार किया है कि जितनी आराजी कय किया था उतने में मकान निर्मित है इससे यह प्रमाणित होता है कि सुरेश सोनी ने 18x27 फुट ही जमीन बेचा था और विवादित आराजी पर आवेदक का कब्जा अनावेदक के कय करने के पूर्व से था। अतः संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अनावेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है यही आधार मानकर तहसीलदार ने आदेश पारित किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है परिणामस्वरूप अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।


सदस्य